

प्रेसनोट दिनांक 01.04.2023

1. दिनांक 31.03.23 को वादी श्री अश्विनी कुमार पाण्डेय प्र०नि० को०नगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. मो० खादिम पुत्र मो० अब्दुल रज्जाक नि० पूरे करम कुटवा थाना इन्हौना अमेठी 2. मो० गुफरान पुत्र मो० अख्तर नि० इस्लामबाग पुराना सीतापुर थाना को०सीतापुर जनपद सीतापुर 3. मो० वकी पुत्र मो० सफी नि० खिरौनी थाना तालगांव सीतापुर 4. इन्शाद उर्फ भाऊ गफफार रायफल क्लब थाना को०सीतापुर जनपद सीतापुर **पुर्व से सभी जेल मे बन्द।** अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक व बुनियावी लाभ हेतु चोरी जैसा जघन्य अपराध कारित करना। जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 190/23 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 31.03.23 को वादी उ०नि० श्री देवेन्द्र नाथ राय थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि महेश चौरसिया पुत्र सदानन्द नि० मजर्ना थाना इनायतनगर अयोध्या। **गिर०** अभि० के कब्जे 1150 ग्राम गांजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 181/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 31.03.23 को वादी श्री रामआशीष यादव पुत्र कन्हैया लाल यादव नि० विजयनपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि संदीप पुत्र हरिराम नि० विजयनपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 133/23 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 31.03.23 को वादी श्री सियाराम पुत्र रामबहोर नि० बैतीकला थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 सीटी 7790 का चालक नाम पता अज्ञात अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र की मो०सा मे टक्कर मार देना तथा मौके पर वादी के पुत्र की मृत्यु हो जाना व एक व्यक्ति का घायल हो जाना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 63/23 धारा 279, 337, 338, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।